

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 15.09.2026

संख्या-1/पी0-1015/2024-सा0प्र0-16967/ राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत रहे केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी-श्री अरविन्द कुमार चौधरी, आई.टी.एस.(1997), तदेन विशेष सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना दिनांक 05.08.2026 के पूर्वाहन से पैतृक संवर्ग (दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) में योगदान देने हेतु विरमित समझें जाएंगे।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0-10/2009 (खंड-2), सा0प्र0-11176 दिनांक-03.08.2015 द्वारा प्रासंगिक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित बंधेजों एवं शर्तों के नियम-3.5 (ii) के तहत श्री अरविन्द कुमार चौधरी को दिनांक 05.08.2026 से उपार्जित छुट्टी के रूप में 60 दिनों की पदावधि छुट्टी (Tenure Leave) की स्वीकृति भी एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

3. आलोच्य छुट्टी की समाप्ति के उपरान्त श्री चौधरी पैतृक संवर्ग में योगदान समर्पित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सदन कुमार झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1015/2024-सा0प्र0-16967/पटना-15, दिनांक: 15.09.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली /सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/ राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/अवर सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/भवन निर्माण विभाग,बिहार, पटना /अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।